भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1639
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के तहत ग्रामीण परिवारों को नल जल की मात्रा

1639. श्री कामाख्या प्रसाद तासाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2024 तक नियमित रूप से दीर्घकालिक आधार पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर नल जल उपलब्ध कराएगा;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है; और
(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा मिशन का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) अगस्त 2019 से, भारत सरकार कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 02.12.2024 तक, 12.09 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2024 तक, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.32 करोड़ (79.11%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 4.02 करोड़ परिवारों को राज्यों द्वारा उनकी आयोजनाओं के अनुसार कवर किए जाने की आशा है। 02.12.2024 तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

अब तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात् 100% परिवारों को नल जल आपूर्ति हो रही है और शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी योजनाओं के अनुसार मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के विभिन्न चरणों में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को पांच वर्ष अर्थात् 2019-20 से 2023-24 तक मंजूरी दी थी। सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है जिसके बाद उचित समय-सीमा तय की जाएगी।

*****

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1639 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: दिनांक 02.12.2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

संख्या लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.08.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.8.2019 से नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		आज की तारीख में नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9	पुडुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12	बिहार	166.92	3.16	1.90	157.19	94.17	160.36	96.07
13	उत्तराखंड	14.51	1.30	8.98	12.76	87.93	14.06	96.91
14	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.45	0.39	95.92
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.22	88.61	3.36	92.43
16	लक्षद्वीप	0.13	-	0.00	0.12	91.17	0.12	91.17
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.73	1.20	90.69
18	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	79.83	54.38	128.26	87.38
19	तमिलनाडु	125.29	21.76	17.37	88.32	70.49	110.08	87.86
20	उत्तर प्रदेश	266.77	5.16	1.94	225.02	84.35	230.19	86.29
21	त्रिपुरा	7.50	0.25	3.26	6.08	81.07	6.33	84.34
22	जम्मू एवं कश्मीर	19.23	5.75	29.92	9.77	50.78	15.52	80.70
23	असम	72.00	1.11	1.55	57.43	79.77	58.55	81.31
24	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.25	80.66	5.30	81.36
25	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.58
26	छत्तीसगढ़	50.04	3.20	6.39	36.63	73.19	39.83	79.58
27	कर्नाटक	101.29	24.51	24.20	58.21	57.47	82.72	81.67
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.08	72.25	67.19	75.75
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.57	41.42	70.31	73.60
30	मध्य प्रदेश	111.78	13.53	12.11	60.79	54.38	74.32	66.49
31	झारखंड	62.54	3.45	5.52	30.70	49.08	34.15	54.60
32	केरल	70.83	16.64	23.50	21.63	30.55	38.28	54.04
33	राजस्थान	107.31	11.74	10.94	47.00	43.80	58.74	54.74
34	पश्चिम बंगाल	175.25	2.15	1.22	91.85	52.41	94.00	53.64
	कुल	**19,34.64**	**3,23.63**	**16.73**	**12,09.03**	**62.49**	**15,32.67**	**79.22**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस